

**In the Court of District & Additional Sessions Judge-II,
Vaishali at Hajipur.**

Title Appeal No. - 88/2013

आदेश

19.10.2024

अपीलकर्ता एवं बिहार सरकार की ओर से हाजरी दी गयी।
सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस के दौरान पता
चला कि वादी और प्रतिवादी के किसी भी साक्षी का साक्ष्य अभिलेख पर
नहीं है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पूर्ववर्ती न्यायालय से
इस संबंध में प्रतिवेदन की माँग करे।

उभय पक्षों को भी निर्देश दिया जाता है कि अन्य कागजात के बारे
में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करे ताकि अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

दिनांक 05.12.2024 अग्रतर कार्यवाही हेतु।

लेखा0

District & A.S.J.-II
Vaishali at Hajipur